**आदेश:**

अभियोजन विभाग में अधिकारिक संदर्भ में कॉन्साईस शहायक के पद रिक्त होने के कारण सेवानिवृत्त मंत्रालयिक सेवा के कार्यकर्ता को कार्यमंत्री विभाग के परिदृश्य संख्या क्रमांक एक 17(10) श्री.अ.पी.ए.लीट. 08.02.2018 में निर्धारित शाखा के अनुसार नियुक्ति नियुक्ति दिनांक से राज्य कर्मचारियों को ए.सी.सी. नियोजित के तहत तीन दिनों. अनुमति के तहत तीन दिनों. अनुमति की जाती है।

| क्र.सं. | आवेदक का नाम | सेवानिवृत्त से पूर्व का पद एवं विभाग | जमा लिखित | कार्यालय जहाँ नियुक्ति की जानी है | विविध वस्तु
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1.</td>
<td>श्री प्रदीप कुमार मालपुर</td>
<td>सहायक प्रशासनिक अधिकारी, पी.एच.आई.डी. विभाग</td>
<td>23.07.56</td>
<td>एक्सप्रेस तिथि जयपुर</td>
<td>विषय बार</td>
</tr>
<tr>
<td>2.</td>
<td>श्री वलदेव सिंह</td>
<td>विशेष सहायक, बन विभाग</td>
<td>12.09.54</td>
<td>एक्सप्रेस हनुमानगढ़</td>
<td>विषय बार</td>
</tr>
<tr>
<td>3.</td>
<td>श्री बद्री लाल जाट</td>
<td>मूं अभिलेख निरीक्षक, संयोजन विभाग</td>
<td>15.06.56</td>
<td>एक्सप्रेस टोक</td>
<td>विषय बार</td>
</tr>
<tr>
<td>4.</td>
<td>श्री प्रताप सिंह</td>
<td>विशेष सहायक, अभियोजन विभाग</td>
<td>15.05.58</td>
<td>एक्सप्रेस भवलपुर</td>
<td>विषय बार</td>
</tr>
<tr>
<td>5.</td>
<td>श्री प्रमोद बघेला</td>
<td>सहायक प्रशासनिक अधिकारी, अभियोजन विभाग</td>
<td>14.02.58</td>
<td>एक्सप्रेस श्रीगंगा जयपुर</td>
<td>विषय बार</td>
</tr>
<tr>
<td>6.</td>
<td>श्री दामोदर बांधा</td>
<td>कॉन्साइल सहायक, स्थाय विभाग</td>
<td>01.10.65</td>
<td>एक्सप्रेस झालावाड़</td>
<td>विषय बार</td>
</tr>
<tr>
<td>7.</td>
<td>श्री जयेंद्र प्रसाद शामा</td>
<td>रीडर, स्थाय विभाग</td>
<td>04.07.55</td>
<td>एक्सप्रेस टोक</td>
<td>विषय बार</td>
</tr>
<tr>
<td>8.</td>
<td>श्री दिनोद शुभराव शामा</td>
<td>विभेद सहायक, विभिन्न एवं स्थाय स्वरूप विभाग</td>
<td>01.03.62</td>
<td>एक्सप्रेस कोटा</td>
<td>विषय बार</td>
</tr>
<tr>
<td>9.</td>
<td>श्री अनुजल रजक</td>
<td>विभेद सहायक, अभियोजन विभाग</td>
<td>31.12.56</td>
<td>एक्सप्रेस उदयपुर</td>
<td>विषय बार</td>
</tr>
<tr>
<td>10.</td>
<td>श्री कलाबा नंद शामा</td>
<td>सहायक प्रशासनिक अधिकारी, अभियोजन विभाग</td>
<td>25.03.57</td>
<td>एक्सप्रेस उदयपुर</td>
<td>विषय बार</td>
</tr>
</tbody>
</table>
1. कार्यालय के आदेश क्रमांक एक. 17(10) डी.ओ.पी. ए.एल/94 दिनांक 08.02.2018 के क्रम में नियुक्त आदेश संबंधित सहायक निदेशक अभियोजन अपने स्थान पर जारी करते हैं।
2. पुनः नियुक्त अधिकारी सहायक निदेशक अभियोजन कार्यालय में राशि रूपये 500/- के स्तर परअनुबंध पूर्ण कर हस्ताक्षरित करेंगे।
3. विभिन्न राजस्व संसाधन पत्र एवं पूर्ण निश्चय व इमानदारी से कार्य करने का शास्त्र पत्र सम्बन्धित सहायक निदेशक अभियोजन को प्रस्तुत करेंगे।
4. सम्बन्धित सहायक निदेशक अभियोजन अपने स्तर पर आवश्यकतानुसार अन्य न्यायालयों में भी कार्यान्वयन के लिए नियुक्त कर सकता है।
5. सम्मिलित पारिशिष्टिक रूप से पुनःनियुक्ति की किसी भी शर्त के भंग करने पर या 15 दिनों का पूर्व नोटिस देकर, सकल पारिशिष्टिक द्वारा समाप्त किये जाने के दायित्व के अधीन होगी।
6. पुनः नियुक्ति संवायनिर्दिष्ट मंत्रालयिक कर्मचारियों की सेवा उक्त आदेश के जारी होने की दिनांक से एक वर्ष तक अथवा नियुक्ति कार्यक्रम के पदेन्द्र तक से जो भी पहले हो थी की अवधि तक ही जारी है। सजीवा पुनःनियुक्ति संबंधित किसी भी शर्त में 65 वर्ष की आयु से अधिक नहीं होगी।
7. इनके पारिशिष्टिक का भुगतान राजस्व मद 2014-00-114-02-01-(01) संबंधित व्यय (सेट्टल फण्ड) से प्रभाव होगा।

वह आदेश गृह (पुप-10) विभाग से प्राप्त रहमत आई.डी. सं. RAJ-E 0054/H-10/18 दिनांक 23.08.2018 के आधार पर जारी किया जा रहा है।

सम्बन्धित सहायक निदेशक अभियोजन का निदेश प्रदान किया जाता है कि संवायनिर्दिष्ट कार्यक्रम की रूपमें शर्त के अनुसार कार्यग्रहण करने के अधीन कार्यवाहक की सूचना भी अधिक शक्तिशाली।

प्रतिशिष्टः— सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रतिशिष्ट है।

1. अनुभागाधिकारी गृह(पुप-10) विभाग शाखान संसदवायु जयपुर।
2. मित्र सचिव, निदेशक अभियोजन राजस्थान जयपुर।
3. सम्बन्धित सहायक निदेशक अभियोजन, 
4. प्रतिशिष्ट पत्रावली।

(रमेश कुमार शर्मा)
निदेशक अभियोजन
राजस्थान जयपुर

निदेशक अभियोजन
राजस्थान जयपुर

159